UPLL010025132026

न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, ललितपुर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 717/2026

चालीराजा उम्र करीब 38 वर्ष, पुत्र छोटेराजा निवासी ग्राम मिदरवाहा, थाना कोतवाली महरौनी, जिला ललितपुर।

–––––आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

स्टेट ऑफ यू.पी. द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर।

–––––विपक्षी।

मु०अ०सं० 224/2026,
धारा 108 बी.एन.एस.
थाना महरौनी, जिला ललितपुर।

दिनाँकः 15.06.2026

आवेदक/अभियुक्त चाली राजा की ओर से मु०अ०सं० 224/2026, धारा 108 बी.एन.एस., थाना महरौनी, जिला ललितपुर के प्रकरण में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 717/2026 प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में कहा गया है कि यह उसका प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके पूर्व कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद अथवा अन्य न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है, न विचाराधीन है और ना ही निरस्त किया गया है। उक्त तथ्यों का कोई खण्डन अभियोजन की ओर से नहीं किया गया है।

3. मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्क सुने तथा केस डायरी का परिशीलन किया।

4. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी चन्द्र प्रताप सिंह द्वारा मुकामी थाने महरौनी में इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि उसके भाई सूर्यप्रताप सिंह से गांव के ही चालीराजा करीब एक सप्ताह से अपना काम करा रहे थे। जब सूर्यप्रताप, चालीराजा से अपनी मजदूरी का पैसा मांगता तो उसके साथ मारपीट और गाली गलौज कर उत्पीड़न करता था और कहता था कि "तुम्हें रुपये की क्या जरूरत है। शराब और खाना खाता रह और मेरा काम करता रहे। यदि काम नहीं करेगा तो साले जान से मारकर फिकवा दूंगा।" उसके भय, आतंक व उत्पीड़न से उसका भाई काम करता रहा। यह बात उसके भाई ने घर पर बताई, तब उसके द्वारा सूर्यप्रताप के साथ किये जा रहे दुर्व्यवहार का उलाहना दिया गया तो उसने दिनाँक 23.05.2026 को सुबह करीब 10 बजे उसके साथ मारपीट की। सूर्यप्रताप, चालीराजा के उत्पीड़न से परेशान होकर शमशान घाट जामनी नदी में जाकर पानी में कूदकर आत्महत्या करने को मजबूर हो गया।

5. वादी मुकदमा चन्द्र प्रताप सिंह की उक्त तहरीर के आधार पर

Digitally signed by ASHOK KUMAR SINGH
Date: 2026.06.15 19:12:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आवेदक/अभियुक्त चालीराजा के विरुद्ध मुकामी थाने महरौनी में अपराध संख्या 224/2026 पर धारा 108 बी.एन.एस. में मुकदमा पंजीकृत किया गया। प्रकरण की विवेचना प्रचलित है।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक बेगुनाह एवं बेकसूर हैं। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्राथमिकी विलंब से दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी में किसी साक्षी का नाम अँकित नहीं है। मृतक उसके यहां मजदूरी का कार्य नहीं करता था। उससे रुपये ऐंठने के उद्देश्य से झूठी एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। वास्तविकता यह है कि मृतक सूर्यप्रताप नदी में मछली पकड़ने का आदी था और शराब पीकर जामनी नदी में मछली पकड़ने गया था तथा शराब के नशे में नदी के पानी में डूब गया। उसने मृतक को कभी भी आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित नहीं किया है।

7. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा मृतक को बंधुवा मजदूर बनाकर उसका उत्पीड़न किया जा रहा था। अभियुक्त के उत्पीड़न से तंग आकर मृतक द्वारा आत्महत्या कर ली गयी।

8. केस डायरी के परिशीलन से ज्ञात से होता है कि प्रकरण की प्राथमिकी वादी मुकदमा चन्द्रप्रताप द्वारा आवेदक/अभियुक्त चालीराजा के विरुद्ध नामजद दर्ज कराई गई है। आवेदक/अभियुक्त पर मृतक सूर्यप्रताप से मजदूरी कराने के लिए मारपीट करने, गाली गलौज करने व जान से मारने की धमकी देकर आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरित करने, (जिसके परिणामस्वरूप वादी के भाई द्वारा आत्महत्या कर लेने) का आरोप है।

9. **वादी चन्द्रप्रताप सिंह ने अपने धारा 180 बी.एन.एस.एस. के बयान में प्राथमिकी के कथनों का समर्थन करते हुए विवेचक को बताया है कि** उसका छोटा भाई सूर्यप्रताप सिंह गांव के चाली राजा के यहां करीब एक सप्ताह से काम कर रहा था। जब उसका भाई सूर्यप्रताप अपनी मजदूरी का पैसा मांगता था तो चाली राजा उसे रुपये न देकर उसके साथ मारपीट और गाली गलौज कर उत्पीड़न करता था। उसके भाई को रुपये की जरूरत थी। चालीराजा उसके भाई से कहता था कि शराब और खाना खाता रह और उसका काम करता रह। काम नहीं करेगा तो जान से मारकर फिंकवा देगा। उसका भाई, चालीराजा के भय, आतंक व उत्पीड़न से चालीराजा का काम करता रहा और उत्पीड़न के बारे में घर पर बताया। उसने सूर्यप्रताप के साथ किये जा रहे उत्पीड़न के बारे में चालीराजा से कहा, लेकिन चालीराजा नहीं माना। चालीराजा के उत्पीड़न से परेशान व मजबूर होकर उसके भाई सूर्यप्रताप सिंह ने दिनाँक 23.05.2026 को सुबह 10 बजे शमशान घाट जामनी नदी में जाकर पानी में कूदकर आत्महत्या कर ली। भाई का क्रियाकर्म करने के बाद उसने थाने में प्रार्थना पत्र दिया था। **साक्षी के उपरोक्त बयान का समर्थन साक्षीगण हरी प्रताप सिंह, हाकिम सिंह, श्रीमती ऊषा व कु. अंजू राजा ने विवेचक को दिये गये अपने बयान में किया है।**

10. **चश्मदीद साक्षीगण श्री नेपाल सिंह, लल्लू राजा, दीपेन्द्र सिंह, राघवेन्द्र सिंह, विक्रम सिंह उर्फ अरजेन्द्र ने विवेचक को दिये गये बयान में बताया है कि** मृतक **सूर्यप्रताप सिंह चालीराजा के यहां रहकर मजदूरी का कार्य करता था। मजदूरी का पैसा मांगने पर चालीराजा, सूर्यप्रताप से गाली गलौज व मारपीट कर उत्पीड़न करता था और जान से मारने की धमकी देता था। चालीराजा के उत्पीड़न से सूर्यप्रताप परेशान रहता था और जान**

देने की बात करता था। चालीराजा के उत्पीड़न के कारण दिनाँक 23.05.2026 को समय 10 बजे सूर्यप्रताप ने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली।

11. मृतक सूर्य प्रताप सिंह की पोस्टमार्टम आख्या में मृत्यु का कारण ASPHYXIA DUE TO ANTEMORTEM DROWNING बताया गया है।

12. इस प्रकार केस डायरी पर आवेदक/अभियुक्त के कथित घटना में संलिप्तता का प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध है और यह स्पष्ट होता है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा मृतक सूर्यप्रताप से अपने यहां मजदूरी का कार्य कराया जा रहा था और मृतक द्वारा मजदूरी का पैसा मांगने पर आवेदक/अभियुक्त द्वारा मृतक के साथ गाली गलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी देकर उसका उत्पीड़न किया गया, जिस कारण मृतक द्वारा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली गयी।

13. अतः उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों, मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता एवं दण्ड की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त चाली राजा की ओर से मु०अ०सं० 224/2026, धारा 108 बी.एन.एस., थाना महरौनी, जिला ललितपुर के प्रकरण में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 717/2026 निरस्त किया जाता है।

दिनाँकः 15.06.2026

(अशोक कुमार सिंह),
सत्र न्यायाधीश,
ललितपुर।